19.07.22. पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 2 उपस्थित। विपक्षी सं. 1 व 3 अनुपस्थित। विपक्षी सं. 1 व 3 को कोर्ट समन से तामील हो चुकी। बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से विपक्षी सं. 1 व 3 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। जवाब वकील व विपक्षी सं. 2 की बहस सुनी। आदेश अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर अग्रिम पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] सुनाया [illegible] दाखिल [illegible] दफ्तर हो।

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

करण संख्या : 93/2022

प्रार्थीनी :–

1. परमेश्वरकंवर पत्नी शैतानसिंह
   कौम कौम राजपूत साकिन आलपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. रेशमीदेवी पत्नी बगाराम
   कौम नाई, साकिन हाजाणियों की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. उम्मेदसिंह पुत्र भीखसिंह
   कौम राजपूत साकिन गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 19.07.2022

प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित हुए तथा प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर कथन किया कि मुझ विप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि ग्राम आलपुरा के खसरा नम्बर 203/15 रकबा 4–02 बीघा के सम्बन्ध में श्रीमान के प्रकरण संख्या 138/19 में निर्णय दिनांक 15.10.2020 द्वारा नेखम पैमाईश जरिये पत्थगढी के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये गये हैं, जिसकी पालना तहसीदार गुड़ामालानी द्वारा अभी तक नहीं की गई है। प्रार्थीनी विप्रार्थी संख्या 2 की उक्त विवादित आराजी की सेढा पाडौसी है, इसलिये पहले श्रीमान के निर्णय दिनांक 15.10.2020 की पालना कराते हुए प्रार्थीनी की नेखमबन्दी की जाती है तो मुझ विप्रार्थी संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2076–2079 जमाबंदी [illegible] सरहद मौजा आलपुरा के खेत खसरा नम्बर 203[illegible] का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीनी का नाम ब[illegible]प्रार्थीनी की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से का[illegible] व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीनी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:09:56 IST
Reason: SelfAttested

खण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी